International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

केन्द्र–राज्य सम्बन्ध : तनाव के कारण एवं सुझाव

डॉ. नरेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

डॉ. सिद्धार्थ राव
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

सारांश

प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि भारतीय संघवाद में केन्द्र राज्य सम्बन्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निःसंदेह भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में अनोखी है तथा इन सम्बन्धों की सफलता– असफलता का आकलन किसी अन्य व्यवस्था से तुलना के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस सदी में केन्द्र राज्य सम्बन्धों में नये स्वरूप व प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केन्द्र राज्य सम्बन्ध जीवंत व प्रगतिशील है तथा क्रमशः परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं।

मुख्य शब्दः भारतीय संघवाद, संविधान, राज्यपाल, अन्तर्राज्यीय परिषद्, राज्य, राजनीति आदि।

केन्द्र–राज्य सम्बन्ध : एक परिचय

केन्द्र व राज्य सम्बन्धों से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केन्द्र और उसकी समस्त इकाइयों के बीच के आपसी सम्बन्धों से होता है। भारत के संदर्भ में देखने पर पता चलता है कि स्वतन्त्रता के साथ ही केन्द्र–राज्य सम्बन्धों का मसला अत्यधिक संवेदनशील रहा है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय संघवद को प्रमुखता दी। संघीय व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के बीच एक सेतु का काम करती है। संविधान के अनुच्छेद–1 के अनुसार भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का एक संघ होगा। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किन्तु भारत के लिए 'फेडरेशन' के स्थान पर 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है और यही कारण है कि भारतीय संघवाद विद्वानों के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। यहां शान्तिकाल में संघवाद प्रभावी रहता है तो आपातकाल में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय संविधान ने केन्द्र को शक्तिशाली बनाते हुए केन्द्र राज्य सम्बन्धों में भी केन्द्र की प्रधानता स्थापित की है।

भारतीय संविधान के भाग 11 एवं 12 में केन्द्र–राज्य सम्बन्धों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच किया गया है किन्तु न्यायिक शक्तियों को विभाजन से परे रखा गया है।

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

अतः भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। संविधान के भाग–11 में अनुच्छेद 245–255 तक विधायी सम्बन्धों का, अनुच्छेद 256–263 तक प्रशासनिक सम्बन्धों का तथा भाग–12 में अनुच्छेद 264–300 तक वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन है।

संविधान की 7वीं अनुसूची में केन्द्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सातवीं अनुसूची में निम्नलिखित तीन सूचियाँ दी गयी है–

(i) संघ सूची

इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गयी है। इसमें मूलतः राष्ट्रीय महत्त्व के विषय शामिल है जिनकी संख्या प्रारम्भ में 97 थी और 5 बार संशोधन के पश्चात् वर्तमान में इनकी संख्या 100 है।

(ii) राज्य सूची

इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमण्डलों के पास है। साधारण परिस्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय शामिल है जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, स्वच्छता आदि। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे वर्तमान में इसमें 61 विषय शेष है।

(iii) समवर्ती सूची

इसमें शामिल विषयों पर राज्य विधानमण्डल और केन्द्र दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अन्तर्गत कुल 52 विषय है।

अवशिष्ट शक्तियाँ

यह संविधान के अनुच्छेद 248 से सम्बन्धित है। इसके अनुसार वे विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में प्रवृत्तियां

1957 तक केन्द्र–राज्य सम्बन्ध सामान्य बने रहे क्योंकि केन्द्र एवं ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार का शासन था। 1967 में जब कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गयी उससे केन्द्र में उसकी शक्ति कमजोर हुई और भारत में केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में नयी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। गैर–कांग्रेसी सरकारों ने केन्द्रीयकरण का विरोध करना प्रारम्भ किया और राज्यों की स्वायत्तता के मुद्दे ने जोर पकड़ा इससे केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में टकराव उत्पन्न होने लगा। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सम्बन्धों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किये गये जिसमें अनेक आयोग व समितियों का गठन किया गया जो निम्न है–

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

(1) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग

सन् 1966 में केन्द्र राज्य सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। इसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट वर्ष 1969 में केन्द्र सरकार को सौंपी।

(2) राजमन्नार समिति

इस समिति का तमिलनाडू सरकार ने 22 सितम्बर 1969 को डॉ. पी. वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करने हेतु सुझाव देने के लिए गठित किया था।

(3) सरकारिया आयोग

केन्द्र व राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए 24 मार्च, 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी जो 1988 में प्रकाशित हुई।

(4) पूंछी आयोग

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आये आमूलचूल परिवर्तनों के बाद केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने हेतु भारत के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में अप्रैल 2007 में इस आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसने 31 मार्च, 2010 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी।

केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में तनाव के कारण

स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में अनेक उतार–चढ़ाव देखने को मिले है। संविधान निर्माताओं ने भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाकर केन्द्र व राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था किन्तु धीरे–धीरे जब केन्द्र और राज्यों में अलग–अलग दलों की सरकारें बनी तो इनके आपसी मतभेद उभर कर आए जो केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव के लिए उत्तरदायी थे।

संघ और राज्यों के बीच सम्भवतः इतनी अधिक उत्तेजना पैदा नहीं हुई होती यदि संघ और राज्यों के बीच कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों और साधनों के बँटवारे की संवैधानिक व्यवस्था पर शब्द और भावना के अनुरूप अमल किया होता। चूंकि ऐसा नहीं हुआ फलस्वरूप टकराव या तनाव पैदा होते गये। संघ और राज्यों में टकराव या तनाव पैदा करने वाले मुख्य मुद्दे निम्न है–

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

(1) राज्यपालों की नियुक्ति व उनकी भूमिका

केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति व उनकी भूमिका को लेकर रहा है। संविधान ने राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी की भूमिका और संघ और राज्य के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी की भूमिका प्रदान की थी परन्तु संघ ने राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति या स्थानान्तरण के सम्बन्ध में न तो संवैधानिक भावनाओं का आदर किया है और न ही स्वस्थ परम्पराओं का विकास किया है। राज्यपालों की नियुक्ति व पद विमुक्ति में केन्द्र सरकार मनमाने तरीके से निर्णय लेती है और इसमें सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को भी महत्त्व नहीं दिया जाता है। राज्यपालों का इस्तेमाल विपक्ष की सरकार को गिराने, लोकतंत्र का गला घोंटने व दल–बदल को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। फलस्वरूप उस पर केन्द्र सरकार के एजेन्ट की भांति व्यवहार करने का आरोप लगता रहा है। राज्यपाल पर अपने पद के दुरूपयोग जैसे गम्भीर आरोप भी लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 में कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल के रवैये की बड़ी आलोचना की गई है। राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को बुलाया, जिसके पास साधारण बहुमत नहीं था और उसे बहुमत साबित करने के लिए कुछ समय दिया जबकि राज्यपाल ने चुनाव बाद गठबंधन वाली अन्य दो पार्टियों को पहले तरजीह नहीं दी बाद में मामला कोर्ट के दखल से सुलझाया गया। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी ने निर्वाचित सरकार और विधायिका के सम्बन्ध में राज्यपाल की भूमिका को फिर से आमने–सामने ला दिया है। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडू में विवाद तब गहरा गया जब राज्यपाल के एक विवादास्पद बयान से वो आलोचना के घेरे में आ गये। केरल में तब राज्यपाल ने अपनी सीमा का स्पष्ट उल्लंघन किया जब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि वह उनके 'वित्त मंत्री' के पद पर बने रहने से 'खुश नहीं' है। इसने सियासी दलों को नाराज किया। हाल ही के इन घटनाक्रमों के बाद राज्यपाल पद खत्म करने की पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। केन्द्र व राज्य सम्बन्धों का अध्ययन करने वाले कई आयोगों ने भी इसी बाबत गम्भीर सिफारिशें की हैं और राज्यपाल की कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव दिए हैं।

(2) राज्यों में राष्ट्रपति शासन

केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में तनाव का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण राज्यों द्वारा शासन संविधान के उपबन्धों के तहत नहीं चलाया जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना है। अनुच्छेद 356 संघ और राज्यों के बीच टकराव का मुद्दा रहा है। संविधान निर्माताओं को आशा थी कि अनुच्छेद 356 प्रायः मृत रहेगा और इसका प्रयोग तभी होगा जब कोई रास्ता न रह गया हो और राज्य के शासन को संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार चलाना सम्भव न हो परन्तु संविधान लागू होने के तुरन्त बाद से ही इस प्रावधान का दुरूपयोग होना शुरू हो गया था। केन्द्र में सत्तारूढ़ सभी दलों की सरकारों ने

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

दलीय हितों की पूर्ति के लिए इस अनुच्छेद का दुरूपयोग किया। अभी तक उत्तर प्रदेश व केरल में 9–9 बार, पंजाब में 8 बार और बिहार में 7 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। राज्यों की मांग है कि इस अनुच्छेद को संविधान से हटाया जाए या इसमें व्यापक संशोधन किये जाएं।

(3) नौकरशाही

नौकरशाही भी एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है, जिस पर केन्द्र व राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवायें राज्यों की स्वायत्तता को कम करती है क्योंकि कई बार इनके अधिकार केन्द्र के एजेण्ट की भांति व्यवहार करने लगते हैं। राज्य सरकारें केन्द्र की अनुमति के बिना इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन–भत्तों तथा अन्य प्रकार का व्यय राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़ता है।

(4) आर्थिक नियोजन

संघ के विरुद्ध राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत यह रही है कि जहां सामाजिक और आर्थिक ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी अर्थात् लोगों के कल्याण से सम्बन्धित सारी योजनाओं जैसे कि शिक्षा, पानी, अस्पताल, उद्योग, कृषि, रोजगार आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर सर्वाधिक है वहीं आय के समुचित साधनों का उनके पास अभाव है। राज्यों को आर्थिक सहायता के लिए संघ का मुँह अधिक जोहना पड़ता है और उसके उपदेश सुनने पड़ते हैं, जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होती है उनके साथ वित्तीय आवंटन में भी भेदभाव किया जाता है। ऐसा आरोप भी राज्य सरकारें केन्द्र पर लगाती रहती है। हालांकि नीति आयोग द्वारा इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास किये गये हैं इसके बावजूद तनाव बरकरार है।

(5) संघ के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण

संघ ने अपने हाथों में सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण कर लिया है। वह राज्य प्रशासन में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करता है। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर आंच आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिससे पता चलता है कि संघ की नीतियां राज्यों और केन्द्र के बीच अनावश्यक टकराव की स्थिति पैदा करती है। एक कारण यह भी रहा है कि केन्द्र की बहुत सारी नीतियों के कारण राज्यों का दायित्व तो बढ़ रहा है किन्तु उसको श्रेय सीमित मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं का इसलिए विरोध किया कि केन्द्रीय योजनाओं में औसतन 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को व्यय करना पड़ता है लेकिन उसका सम्पूर्ण श्रेय केन्द्र को चला जाता है और इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।

इसके अलावा संघ ने संघ और राज्यों के बीच अथवा राज्यों के बीच उठने वाले विवादों की निष्पक्ष जांच कराने हेतु दशाब्दियों तक किसी अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना नहीं

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

की। इसके फलस्वरूप विवादों के निर्णयों ने भी पुनः विवादों को जन्म दिया। साथ ही संघ किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री के विरुद्ध कभी भी जांच आयोग बैठा सकता है, जो अत्यधिक केन्द्रीयकरण का संकेत है। यहां तक कि संघ राज्यों में कभी भी सुरक्षा बलों को तैनात कर उस क्षेत्र को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित कर सकता है जो राज्य की स्वायत्तता का स्पष्टतः उल्लंघन है।

(6) राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित करना

राज्यों को यह भी शिकायत रहती है कि जिन विधेयकों को राज्य विधानमण्डल पारित कर देता है उन विधेयकों पर केन्द्र स्वीकृति देने में जानबूझकर देरी करता है साथ ही कुछ पर स्वीकृति दी भी नहीं जाती और इसकी सूचना तक राज्य सरकारों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में राज्यों का आरोप है कि उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है।

(7) संघ और राज्यों के बीच उठने वाले विवादों के समाधान हेतु किसी मंच का अभाव

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 263 के अधीन एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की व्यवस्था की है। उसकी धारणा थी कि इस परिषद् में संघ और राज्यों के बीच अथवा राज्यों की बीच उठने वाले विवादों या मुद्दों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य विषयों पर विचार–विमर्श किया जा सकता है। परन्तु बहुत समय तक इस प्रकार की परिषद् की स्थापना नहीं की जा सकी। इसके पश्चात् 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों ने और 1988 में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में अनुच्छेद 263 के अधीन एक अन्तर्राज्यरय परिषद् की स्थापना की सिफारिश की गयी। वर्तमान में अन्तर्राज्यीय परिषद् का अस्तित्व तो है पर यहां भी केन्द्र का ही प्रभुत्व है।

(8) राज्यों की समस्याओं के प्रति संघ का असंवेदनशील एवं उदासीन व्यवहार

राज्यों की, विशेषकर विपक्ष द्वारा शासित राज्य सरकार की, यह शिकायत रही है कि उनके राज्य की समस्याओं के प्रति संघ का दृष्टिकोण असंवेदनशील और उदासीन रहा है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस रोष को खुले मंच पर भी प्रकट किया है।

(9) अन्य कारण

उपरोक्त मुख्य कारणों के अलावा अनेक ऐसे छोटे–छोटे कारण है जो केन्द्र व राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे राज्यों में अकाल, भूकम्प, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता में भी केन्द्र के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण केन्द्र राज्य सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा विद्युत सुधारों को लागू करने का मुद्दा हो चाहे नवीन राज्य बनाने का मुद्दा हो राज्यों ने हमेशा केन्द्र के फैसलों की कड़ी आलोचना की है कि वह फैसला लेते समय राज्यों के हित को ध्यान में नहीं रखता है साथ ही मुख्यमंत्रियों से भी सलाह मशविरा नहीं करता है।

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

संघ–राज्य सम्बन्धों में सुधार हेतु सुझाव

संविधान–विशेषज्ञों, राजनीतिक टीकाकारों, समीक्षकों, विरोधी दलों, गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र–राज्य मतभेदों को दूर करने की दिशा में मुख्यतः निम्न सुझाव दिए जाते रहे हैं–

1. भारतीय संविधान स्वरूप में संघात्मक किन्तु आत्मा से एकात्मक है। अतः इसे आत्मा से ही संघात्मक बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में शामिल किया जाए।
2. केन्द्रीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए और राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्यों को कुछ लचीले वित्तीय स्त्रोत प्रदान किये जाएं क्योंकि उनकी आय के स्त्रोत बहुत कम है। ऐसी स्थिति में संविधान का पुनः निरीक्षण होना चाहिए और उन्हें आर्थिक और वित्तीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
3. राज्यों की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए भी एक स्थायी किन्तु गैर–राजनीतिक समिति गठित की जाए जो केन्द्र व राज्यों के बीच आर्थिक समन्वय का कार्य करे।
4. वित्त आयोग को स्थायी निकाय बना देना चाहिए। योजना एवं गैर–योजना सम्बन्धी सभी खर्चों के सम्बन्ध में सिफारिश देने का अधिकार वित्त आयोग को सौंपा जाना चाहिए।
5. नीति आयोग को स्वायत्त संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए।
6. केन्द्र, राज्य सूची के विषयों में कतई हस्तक्षेप न करें। राज्य सूची के विषयों सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करना व उन पर धन व्यय करने आदि का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहे।
7. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार 'अन्तर्राज्यीय परिषद्' की स्थापना की जानी चाहिए तथा केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने से पूर्व अन्तर्राज्यीय परिषद् से परामर्श लेना चाहिए।
8. राज्यपालों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि राज्यपाल को केन्द्र और राज्य के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करना है।
9. राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपालों, न्यायाधीशों एवं नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो।
10. अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न न कर सके, इसके लिए उनकी सेवा–शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों का उन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।
11. कानून और व्यवस्था जेसे विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारें सी.आर.पी. की टुकड़ियों के प्रवर्तन पर आपत्ति न कर सके।

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024

International Journal of Economic Perspectives,*18* (10) 65-72
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

12. अनुच्छेद 356 का प्रयोग अन्तिम उपाय के रूप में उस समय किया जाना चाहिए जब अन्य उपलब्ध सभी विकल्पों से राज्य ने संवैधानिक तंत्र को भंग होने से रोका न जा सके या उसमें कोई सुधार न किया जा सके।
13. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 'उपद्रवग्रस्त क्षेत्र' घोषित करने से पहले यह वांछनीय है कि जहां कहीं भी सम्भव हो राज्य सरकार से परामर्श किया जाए और उसका सहयोग प्राप्त किया जावे।
14. राज्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालने वाले संवैधानिक संशोधनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्याध्यक्षों से परामर्श किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव विकास एवं जनकल्याण को अवरूद्ध कर सकता है। ऐसे में केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में समन्वय आवश्यक हो जाता है। एक संघात्मक व्यवस्था में जहां केन्द्रीय और राज्य सरकारों का अस्तित्व है वहां कुछ न कुछ मतभेदों का बने रहना स्वाभाविक है। अतः प्रयत्न इस दिशा में होना चाहिए कि केन्द्र यथापूर्ण शक्तिशाली बना रहे तथा राज्यों में भी असंतोष उत्पन्न न हो। भारत की एकता व अखण्डता की सुरक्षा के लिए केन्द्र का सुदृढ़ होना आवश्यक है किन्तु आर्थिक विषमताएँ, सांस्कृतिक भिन्नताएँ व राजनीतिक कारक राज्यों और राज्यों व संघ के बीच सम्बन्धों के विषय को अक्षुण्ण रखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फड़िया, डॉ. बी.एल एवं फड़िया, मंजू (1991), "भारत में केन्द्र–राज्य सम्बन्ध", साहित्य भवन, आगरा।
2. पण्डित, सी.एस., "सेण्टर–स्टेट टेन्शन्स", इण्डियन एक्सप्रेस, 30 मार्च, 1969
3. चड्ढ़ा, पी.के. एवं जैन, धर्मचन्द (2004), "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था" यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि. जयपुर।
4. शर्मा, हरिश्चन्द्र : "भारत में राज्यों की राजनीति" कॉलेज बुक डिपो, राजस्थान।
5. सिन्हा, मनोज (2012), "समकालीन भारत : एक परिचय" ओरियन्ट ब्लॅकस्वान प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद।
6. लक्ष्मीकांत, एम. (2017), "भारत की राज व्यवस्था" मैकग्राहिल एजुकेश प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. प्रसाद, वीरकेश्वर (2016), "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था" ज्ञानन्दा प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. जैन, पुखराज (2001), "भारतीय शासन एवं राजनीति" साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
9. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Aug 2024, Revised: 09 Sep 2024, Accepted: 18 Sep 2024, Published: Oct 2024